

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

02.02.2022 के

तारांकित प्रश्न सं. 13 का उत्तर

के-रेल (सिल्वर लाइन) परियोजना

*13. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

श्री के. मुरलीधरन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केरल सरकार ने के-रेल (सिल्वर लाइन) परियोजना को अनुमोदन एवं संस्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या केरल सरकार ने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कोई रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केरल सरकार ने के-रेल परियोजना हेतु विदेशी ऋण के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति माँगी है और यदि हां, तो कुल धनराशि कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस परियोजना की व्यापक जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या केन्द्र सरकार ने के-रेल से संबंधित कार्य आरंभ करने हेतु केरल सरकार को अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया है;
- (च) यदि हां, तो जारी किए गए आदेशों की प्रति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (छ) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि के-रेल के विरोध में केरल में प्रदर्शन हो रहे हैं; और
- (ज) यदि हां, तो परियोजना को बंद करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

के-रेल (सिल्वर लाइन) परियोजना के संबंध में दिनांक 02.02.2022 को लोक सभा में श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन और श्री के. मुरलीधरन द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.13 के भाग (क) से (ज) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): केरल रेल विकास निगम लिमिटेड (केआरडीसीएल), जो केरल राज्य सरकार (51%) और रेल मंत्रालय (49%) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना (530.6 किलोमीटर) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेज दी गई है। केआरडीसीएल द्वारा इस परियोजना की लागत 63,941 करोड़ रु. आंकी गई है। आगे परियोजना की तकनीकी-आर्थिक अर्थक्षमता पर विचार किया जाएगा।

(ख): जी नहीं।

(ग): केआरडीसीएल द्वारा विभिन्न बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों (जेआईसीए, एडीबी, एआईआई और केएफडब्ल्यू) से 33,700 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के लिए आर्थिक कार्य विभाग को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(घ): केरल राज्य सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया है और केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए रेलवे बोर्ड को भेज दिया है।

(ङ) और (च): जी नहीं। रेल मंत्रालय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में तकनीकी व्यवहार्यता के लिए पर्याप्त विवरण उपलब्ध नहीं है। इसलिए, केआरडीसीएल को कहा गया है कि प्रभावित रेल संपत्ति को विधिवत रूप से दर्शाते हुए संरेखण योजना, रेलवे भूमि और निजी भूमि का विवरण, मौजूदा रेलवे नेटवर्क पर क्रॉसिंग जैसे विस्तृत तकनीकी दस्तावेज क्षेत्रीय रेलवे के माध्यम से उपलब्ध कराए ताकि परियोजना की विस्तृत जांच के लिए और इस परियोजना की व्यवहार्यता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। तकनीकी मानकों को अंतिम रूप देने के बाद वित्तीय अर्थक्षमता की भी जांच की जाएगी और उसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

(छ) और (ज): जी हाँ। इसके अलावा, केरल सरकार ने सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए 4(1) अधिसूचना जारी की है। सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन रिपोर्ट आमतौर पर जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाएगी। परियोजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है। परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर परियोजना पर विचार किया जाएगा।
